



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237628
CG-DL-E-28072022-237628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3302]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944

No. 3302]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

(दीपम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का. आ. 3467(अ).—भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम 2002 (सं. 58, 2002) के खंड 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार दिनांक 1 अक्तूबर 2014 के प्रभाव से केंद्र सरकार की ओर से एसयूयूटीआई का प्रबंधन करने के लिए एसयूयूटीआई के प्रशासक और सलाहकार मंडल के स्थान पर, एसयूयूटीआई के और प्रशासक सलाहकार मंडल के तौर पर कार्य करने के लिए 'कार्मिकों का निकाय' से स्थापित किया है। 'कार्मिकों का निकाय' में सदस्य के रूप में संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग/ निवेश और लोकपरिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, पीएसयू बैंक के सेवानिवृत्त ईडी/ सीएमडी और एसयूयूटीआई के सीईओ शामिल हैं।

2. इसके अलावा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम 2002 (सं. 58, 2002) के खंड 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम के 'कार्मिकों का निकाय' में एक सदस्य के रूप में डॉ. किशोर संसी को श्री के.एन. पृथ्वीराज जिनकी सदस्यता 'कार्मिकों का निकाय' में दिनांक 31 अक्तूबर, 2021 के प्रभाव से समाप्त हो रही है, के स्थान पर दिनांक 1 नवंबर,

2021 के प्रभाव से नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करती है। नियुक्ति की निबंधन और शर्तें अलग से विनिर्दिष्ट की जा रही हैं।

[फा. सं. 5/32/2003-UTI&JPC(Vol-V)]

परमा सेन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Investment and Public Asset Management)

(DIPAM)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 3467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 7 of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking & Repeal) Act, 2002 (No. 58 of 2002), the Central Government replaced Administrator and Board of Advisers of SUUTI with 'Body of Persons' to act as Administrator and Board of Advisers of SUUTI w.e.f. 1st October 2014 to carry on the management of SUUTI on behalf of Central Government. The 'Body of Persons' comprises as members Joint Secretary, Department of Economic Affairs/ Department of Investment and Public Asset Management, a retired ED/CMD of a PSU Banks and CEO, SUUTI.

2. Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 7 of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking & Repeal) Act, 2002 (No. 58 of 2002), the Central Government hereby appoints Dr. Kishore Sansi as member on the 'Body of Persons' of the Specified Undertaking of the Unit Trust of India w.e.f. 1st November, 2021 for a period of 3 years from the date of appointment or upto 65 years of age or until further orders, whichever is earliest in place of Shri K. N. Prithviraj who ceases to be a member of 'Body of Persons' w.e.f. 31st October, 2021. Terms and Conditions of the appointment are being specified separately.

[F. No. 5/32/2003-UTI & JPC(Vol-V)]

PARAMA SEN, Jt. Secy.